(SOP)
पीजी हॉस्टल
'राजकीय दून मेडिकल कॉलेज देहरादून

'1. उद्देश्यः'
- यह एसओपी पीजी छात्रों के लिए हॉस्टल में रहने के नियमों और प्रक्रियाओं का निर्धारण करता है।
- इसका उद्देश्य सभी छात्रों के लिए एक सुरक्षित, स्वच्छ और अनुशासित वातावरण सुनिश्चित करना है।

'2. आवेदन प्रक्रियाः'
- हॉस्टल में प्रवेश के लिए छात्रों को विभागाध्यक्ष से वार्डन को निर्धारित आवेदन प्रक्रिया का पालन करना होगा।
- सभी आवश्यक दस्तावेज और फीस का भुगतान समय पर करना होगा।

'3. प्रवेश और कमरे का आवंटनः'
- कमरे का आवंटन योग्यता, उपलब्धता और पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।
- छात्रों को निर्धारित अवधि के भीतर हॉस्टल में प्रवेश करना होगा और आवंटित कमरा प्राप्त करना होगा।
- तय सीमा में आवंटित कमरे में निवास ना करने पर यह स्वतः रद्द माना जाएगा

'4. अनुशासनः'
- सभी छात्रों को हॉस्टल के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
- छात्रावास परिसर में जुआ, किसी भी प्रकार का नशा धूम्रपान, अथवा कदाचारपूर्ण कृत्य वर्जित है।
- छात्रों को अपने कमरे में आग्नेय शस्त्र अथवा अन्य किसी प्रकार के हथियार रखने की अनुमति नहीं होगी।
- पालतु पशु को छात्रावास/महाविद्यालय प्रांगण में रखने की अनुमति नहीं होगी।
- किसी भी प्रकार का वाद–विवाद, मारपीट, सामूहिक झगड़ा साजिश अथवा सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुचाना वर्जित है।
- छात्र/छात्राऐं किसी भी जातीय, धार्मिक, चोरी, राज्य/राष्ट्रद्रोही गतिविधि में शामिल नहीं होंगे।
- छात्र/छात्राऐं किसी के खिलाफ जातीय सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे।
- छात्र/छात्राऐं छात्रावास में कीमती सामान जैसे जेवरात, कीमती उपकरण इत्यादि नहीं रखेंगे। ऐसे सामान की चोरी या नुकसान के लिये छात्र/छात्राऐं स्वयं जिम्मेदार होगें।

'5. सफाई और रखरखावः'
- छात्रों को अपने कमरे और आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखना होगा।
- हॉस्टल परिसर में कचरा इधर–उधर फेंकने की सख्त मनाही है। कचरे का उचित निपटान सुनिश्चित करना होगा।
- कोई भी क्षति होने पर उसकी जानकारी तुरंत वार्डन को देनी होगी।

'6. आगंतुक नीतिः'
- छात्रों को केवल वार्डन की अनुमति से आगंतुकों से मिलने की अनुमति है। आगंतुकों के हॉस्टल में प्रवेश का समय सुबह 9:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक रहेगा।
- आगंतुकों का विवरण आगंतुक रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य है।
- **Amazon/Swiggy/Zamoto/Blinkit** के डिलिवरी बॉय का हॉस्टल में प्रवेश का समय सुबह 9:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक रहेगा। इस अवधि के अलावा गेट से आकर ही लेना होगा

'7. सुरक्षाः
- हॉस्टल परिसर में किसी भी प्रकार के खतरनाक अस्त्रों या गतिविधियों की सख्त मनाही है।
- परिसर में आग से बचाव के उपकरणों का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

'8. बिजली और पानी का उपयोगः'
- छात्रों को बिजली और पानी का सदुपयोग करना चाहिए। अनावश्यक बिजली के उपकरणों का उपयोग प्रतिबंधित है।
- पानी के संसाधनों की बचत करें और लीक होने पर तुरंत जानकारी दें।

'9. मेस और भोजनः'
- मेस की सेवाओं का उपयोग निर्धारित समय पर करें। भोजन का दुरुपयोग न करें।
- मेस शुल्क समय पर जमा करना अनिवार्य है।

10. नशा या मदिरापान
- नशा या मदिरापान करते पाए जाने पर आर्थिक दंड/हास्टल से निष्कासन/कालेज से निष्कासन की नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी

'11. शिकायत निवारणः'
- किसी भी प्रकार की शिकायत या सुझाव के लिए छात्र वार्डन से संपर्क कर सकते हैं।
- शिकायतों का निवारण समयबद्ध तरीके से किया जाएगा।

'12. निष्कासनः'
- हॉस्टल के नियमों का उल्लंघन करने पर छात्रों को वार्डन की अनुशंसा पर हॉस्टल से निष्कासित किया जा सकता है।

13. संशोधन और अद्यतनः'
- इस एसओपी में आवश्यकतानुसार समय–समय पर संशोधन किया जा सकता है। संशोधन की सूचना सभी छात्रों को दी जाएगी।